



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0) सूचना का

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

अधिकार

क्र0/तक0/ 4330
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक. 08-07-2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:-

सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हे0 वनभूमि एवं सिंगरौली वन मण्डल की 141.92 हे0 वनभूमि कुल 176.24 हे0 वनभूमि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/RAIL/ 33238/2018)

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1230/2023/10-11/2417 दिनांक 03.05.2024
2. भारत सरकार, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 016/2023-बीएचओ/1/71165 दिनांक 03.05.2024
2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, म0प्र0 का प्राप्त पत्र दिनांक 02.07.2024

-000-

विषयांतर्गत के संबंध में लेख है कि वन मण्डल सिंगरौली के अन्तर्गत 141.92 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980(2) के तहत उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा द्वारा रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है।

सन्दर्भित पत्र (1) से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी है, जो निम्नानुसार है:-

क्र0	भारत सरकार द्वारा चाही गयी जानकारी	बिन्दुवार जानकारी																																														
1.	Approx. 13.79 ha Revenue land/non-forest area which is included in the proposed construction, in 8 khasra(s) in the jurisdiction of Sidhi Forest Division and is recorded as Revenue Forest in the subject revenue records attract the provision of FCA, 1980. This Revenue forest area shall be included in the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	गैर वनभूमि में खसरो को सत्यापित करने हेतु कलेक्टर सीधी को पत्र लिखा गया था, कलेक्टर सीधी के रिपोर्ट अनुसार (रिपोर्ट संलग्न) 4 खसरो खसरा नं. 12, 13, 278 एवं 5 के अंतर्गत क्रमशः 0.061 हे., 0.214 हे., 0.050 हे एवं 1.594 हे0 (कुल 1.919 हे0) राजस्व वन भूमि से सीधी सिंगरौली रेल लाईन के अन्तर्गत क्रमशः 0.058 हे., 0.048 हे., 0.050 हे, एवं 0.006 हे0 (कुल 0.162 हे0) भूमि प्रस्तावित हो रही है। जो कि के0एम0एल0 फाईल में दर्शाई गई है। अतः पुनरीक्षित नियमानुसार स्वीकृति देने की कार्यवाही करने का अनुरोध है। 1. पूर्व से प्रेषित प्रस्ताव में वनभूमि - 34.32 हे0 2. के0एम0एल0 के अनुसार राजस्व वनभूमि - 0.162 हे0 योग - 34.482 हे0 (आवेदक संस्थान से प्राप्त)																																														
2	Revised land schedule comprising of details of under-ground and surface area of forest and non-forest included in project shall be submitted/uploaded. The entry of non-forest land involved in the proposal shall also be done in designated columns of online Part-I and II accordingly.	जानकारी प्रपत्र में संलग्न है। (आवेदक संस्थान से प्राप्त)																																														
3	Since NPV is 50% for the underground area as per the prevailing guidelines, therefore the State Government shall provide the revised calculation of NPV for the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क</th> <th>विवरण</th> <th>परिक्षेत्र</th> <th>रकवा (हे0 में)</th> <th>इको क्लास</th> <th>घनत्व</th> <th>एन.पी.व्ही. की दर प्रति हे0</th> <th>एन.पी.व्ही. की राशि</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NPV (Above Ground)</td> <td rowspan="2">बरगवां</td> <td>34.07</td> <td>III</td> <td>0.3</td> <td>1228590</td> <td>41858061</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NPV (Below Ground) (50% of NPV)</td> <td>17.34</td> <td>III</td> <td>0.3</td> <td>614295</td> <td>10651875</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NPV (Above Ground)</td> <td rowspan="2">कर्थुआ</td> <td>19.17</td> <td>III</td> <td>0.3</td> <td>1228590</td> <td>23552070</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NPV (Below Ground) (50% of NPV)</td> <td>10.09</td> <td>III</td> <td>0.3</td> <td>614295</td> <td>6198237</td> </tr> </tbody> </table>	क	विवरण	परिक्षेत्र	रकवा (हे0 में)	इको क्लास	घनत्व	एन.पी.व्ही. की दर प्रति हे0	एन.पी.व्ही. की राशि	1	2	3	4	5	6	7	8	1	NPV (Above Ground)	बरगवां	34.07	III	0.3	1228590	41858061	2	NPV (Below Ground) (50% of NPV)	17.34	III	0.3	614295	10651875	3	NPV (Above Ground)	कर्थुआ	19.17	III	0.3	1228590	23552070	4	NPV (Below Ground) (50% of NPV)	10.09	III	0.3	614295	6198237
क	विवरण	परिक्षेत्र	रकवा (हे0 में)	इको क्लास	घनत्व	एन.पी.व्ही. की दर प्रति हे0	एन.पी.व्ही. की राशि																																									
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
1	NPV (Above Ground)	बरगवां	34.07	III	0.3	1228590	41858061																																									
2	NPV (Below Ground) (50% of NPV)		17.34	III	0.3	614295	10651875																																									
3	NPV (Above Ground)	कर्थुआ	19.17	III	0.3	1228590	23552070																																									
4	NPV (Below Ground) (50% of NPV)		10.09	III	0.3	614295	6198237																																									

		5	NPV (Above Ground)	जियावन	37.63	III	0.3	1228590	46231842
		6	NPV (Below Ground) (50% of NPV)		10.80	III	0.3	614295	6634386
		योग:-			129.1				135126471
4	The DFOs shall provide a certificate to the effect that the KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of forest boundaries established in the prevailing working plan.	प्रस्तावित व्यपवर्तित रकवे की के०एम०एल० फाईल वन सीमा एवं प्रचलित कार्य आयोजना के आधार पर तैयार की गयी है।							
5	Areas in which past plantation activity is observed in the West Sarai Range, PF-674 such areas should be excluded from the area proposed for CA and revised KML. Shall be submitted/uploaded in online portal accordingly.	संशोधित के०एम०एल० फाईल संलग्न है।							
6	Rehabilitation plan to be submitted.	वन मण्डल सीधी से संबंधित है।							



वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक ०८/०७/२०२५

पृ०क्र०/तक०/ ५३३५

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, म०प्र० की ओर सूचनार्थ।



वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

राजेश कुमार खरे
उप मुख्य अभियंता (नि)
मो. 9752415228 .
ईमेल -dycec.sidhi@gmail.com



कार्यालय
उप मुख्य अभियंता (नि)
सीधी

पत्र क्र. : उप/मुख्य/अभियंता/नि/सीधी/सीधी-वन/99

दिनांक: 07.06.2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल सीधी एवं सिंगरीली

विषय - सीधी एवं सिंगरीली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरीली नई बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु 176.24 हे 34.32) हे. सीधी एवं 141.92 हे. सिंगरीली वनमण्डल (आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि उप मुख्य अभियंता) निर्माण, (पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ - भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र-6.एमपीआर-2023/016 बीएचओ/ 71165/दिनांक 03.05.2024 -

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरीली (सा०)


क्र.	विन्दु	चाही गई जानकारी	अनुपालन
1		Approx. 13.79 ha Revenue land/non-forest area which is included in the proposed construction, in 8 khasra(s) in the jurisdiction of Sidhi Forest Division and is recorded as Revenue Forest in the subject revenue records attract the provision of FCA, 1980. This Revenue forest area shall be included in the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	गैर वन भूमि में खसरों को सत्यापित करने हेतु कलेक्टर सीधी को पत्र लिखा गया था, कलेक्टर सीधी के रिपोर्ट अनुसार (रिपोर्ट संलग्न) 4 खसरों खसरा न. 12, 13, 278 एवं 5 के अंतर्गत क्रमशः 0.061 हे., 0.214 हे., 0.050 हे. एवं 1.594 हे. (कुल 1.919 हे.) राजस्व वन भूमि से सीधी-सिंगरीली रेल लाइन के अंतर्गत क्रमशः 0.058 हे., 0.048 हे., 0.050 हे. एवं 0.006 हे. (कुल 0.162 हे.) भूमि प्रस्तावित हो रही है। जो कि KML फाइल में दर्शाई गई है। अतः पुनरीक्षित नियमानुसार स्वीकृत देने की कार्यवाही करने का अनुरोध है। 1-पूर्व से प्रेषित प्रस्ताव में वनभूमि = 34.32 हे. 2-KML के अनुसार राजस्व वनभूमि = 0.162 हे. योग = 34.482 हे.
2		Revised land schedule comprising of details of under-ground and surface area of forest and non-forest included in project shall be submitted/uploaded. The entry of non-forest land involved in the proposal shall also be done in designated columns of online Part-I and II accordingly.	जानकारी प्रपत्र में संलग्न है।
3		Since NPV is 50% for the underground area as per the prevailing guidelines, therefore the State Government shall provide the revised calculation of NPV for the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी सा. सिंगरीली
आवक
29/23
क्र. 02/07/24
दि. 02/07/24

4	The DFOs shall provide a certificate to the effect that the KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of forest boundaries established in the prevailing working plan.	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है।
5	Areas in which past plantation activity is observed in the West Saral Range, PF-674 such areas should be excluded from the area proposed for CA and revised KML Shall be submitted/uploaded in online portal accordingly.	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है।
6	Rehabilitation plan to be submitted.	सीधी वन मण्डल के अंतर्गत 1 व्यक्ति का विस्थापन प्लान किया जाना है खंड स्तरीय समिति मिहाबल/बहरी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न - प्रपत्र 1


उप मुख्य अभियंता (नि)
सीधी

प्रतिलिपि -

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबंध भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय/रीवा (वृत्त रीवा) मध्यप्रदेश सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता/नि-1/जबलपुर को सादर सूचनार्थ।


उप मुख्य अभियंता (नि)
सीधी

i. Land schedule showing length, width and area wise details of all components in surface area and in underground area

SIDHI-SINGRAVLI FOREST TUNNEL DETAILS

Sr. No.	Tunnel/Cut & Cover/ Cutting	Chainage		Compartment No.	Length (m)	Area (Ha)		Trees for Felling	Remarks	
		Starting (m)	Ending (m)			Overground component	Underground component			
Tunnel-1	Portal-1	111274	111435	P-946	161	2.44	-	2303		
	Tunnel	111435	112030		595	-	1.19			
	Portal-2	112030	112200		170	2.1	-			
Tunnel-2	Cut & Cover-1	115685	116480	P-932	795	12.44	-	8499		
	Cut & Cover-2	116898	117405		507	8.40	-			
Tunnel-4	Portal-1	122505	122800	P-942	295	4.83	-	1161		
	Tunnel	122800	123000		200	-	3.25			
	Portal-2	123000	123280		280	2.67	-			
Revenue Forest										
SIDHI										
Tunnel-5	Portal-1	124505	124570	PF-947	65	1.1	-	231		
	Tunnel	124570	124800		230	1.45	3.76			
	Portal-2	124800	124895		95	0.31	5.51			
Tunnel-6	Portal-1	125785	125820	PF-948	35	0.85	-	36		
	Tunnel	125820	126230		410	0.85	-			
	Portal-2	126230	126290		60	8.92	-			
Tunnel-7	Cut & Cover-3	126910	127475	PF-945	565	8.92	-	1926		
	Portal-1	130695	130780		85	1.75	4.12			
	Tunnel	130780	130960		180	2.45	6.54			
Tunnel-10	Portal-1	130960	131070	PF-774, RF-773 & PF-776	110	6.54	-	7523		
	Portal-2	131470	132050		580	10.80	7.45			
	Tunnel	132050	133460		1430	0.00	24.9			
Tunnel-11	Portal-1	133460	134530	PF-782, RF-781	0	0.00	-	416		
	Portal-2	151850	153210		605	10.30	9.17			
	Tunnel	154710	155315		565	13.64	8.17			
Tunnel-14	Portal-1	156615	157180	PF-201	500	3.13	-	2652		
	Portal-2	157180	157680		990	7	63.08			
	Tunnel	157680	159370		980	78.84	141.92			
Tunnel-16	Portal-1	159370	160350	PF-200, RF-197	400	7	-	3198		
	Portal-2	160350	160750							
	Tunnel									
SINGRAVLI										
(SIDHI + SINGRAVLI) Area (Ha.)										
					TOTAL	108.882	141.92	63.08	15982	
(SIDHI + SINGRAVLI) Total Area (Ha.)										
					TOTAL	176.402	67.52	27945		

1-Total no of tunnel -18
Tunnel no - 8, 9, 12, 13, 15 & 18 exists in non forest area. 2- Forest area is irregular hence width is not mentioned

(Signature)